

27/9/24

परावर्षी प्रेषा हुये। वकील-अधी उपस्थित है।

वकील-अधी के प्रा. पर अन्तर्गत नियम 22
नियम 4 दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश में
दिनांक 28/10/24 को प्रेषा है।

28/10/24

परावर्षी प्रेषा हुये। वकील-अधी उपस्थित है।

P.O. मजदूर के V.C. मिलने में होने से परावर्षी
पूरा अनुसार दिनांक 31/10/24 को प्रेषा है।

31/11/24

परावर्षी प्रेषा हुये। वकील-अधी उपस्थित है।

P.O. मजदूर के द्वारा पधारने से परावर्षी पूरा अनुसार
दिनांक 19/11/24 को प्रेषा है।

19/11/24

परावर्षी प्रेषा हुये। वकील-अधी उपस्थित है।

वकील-अधी ने जाहिर किया कि अभागी कासोलाद
मौल के पुत्र है। वकील-अधी ने मूल अभागी के
उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर लाने हेतु कोई आदेश
आवना-पर नहीं किया है। बूढ़े विधि अनुसार मूल
आपकी के रिकॉर्ड प्रा. पर को विधि सम्मल नहीं
होगा। मूल! हलगत प्रा. पर अपरिज छिपे जाने के
आदेशा-दिपे गले है। अधी-गरे ले भविष्य में विधि
मिमाद अफीध में अधी के विधि उत्तराधिकार को
परवर्षी बनाने हेतु नये सिरे से आदेशा-परवर्षी करने
हेतु सम्मल रहेगा। परावर्षी विधि से कसप के जाकर
निकर से कस के गला काउ लकील दाखिल करार है।
निर्णय न्यून न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहानाद जिला बारां